न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–84/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उपकार पुत्र श्री गंगाराम जाति अहीर निवासी ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर।

.....अपीलांट

बनाम

1. रितू पुत्री नारायण
2. अक्षय पुत्र नारायण जाति अहीर नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता श्रीमती तारादेवी पत्नी नारायण निवासी तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर।

.....असल रेस्पो0/वादीगण

3. नारायण पुत्र स्व0 गिर्राज जाति अहीर निवासी तूलेडा तहसील अलवर ।
4. सब रजिस्ट्रार (द्वितीय) तहसील अलवर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

..... प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री रामकिशन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् इश्तकरार हक तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1782 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1958 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 1959 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1963 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 1972 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 2006 रकबा 0.21 है0 व खसरा नंबर 2937 रकबा 0.31 है0 कुल किता 7 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी पैतृक संपत्ति है जो कि वादीगण का दादा था उसके नाम थी तथा वादीगण के दादा गिर्राज के स्वर्गवास के पश्चात विवादित आराजी लक्ष्मी देवी पत्नि गिर्राज तथा मोहन, नारायण, अशोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

पुत्र गिर्राज के नाम चली आ रही है। विवादित आराजी में नारायण पुत्र गिर्राज का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हिस्सा है तथा विवादित आराजी के 1/4 में से 2/3 हिस्सा वादीगण का निहित है। जिसको वादीगण अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का पिता शराब पीने का आदी है तथा शराब के नशे में प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित आराजी में से खसरा नंबर 1963 , 1958, 2937 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 है0 में से अपना 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 26.02.2016 को जर्ये रजिस्ट्री पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 158 पृष्ठ संख्या 196 कम संख्या 2016000384 करा दी एवं इंतकाल संख्या 2147 दिनांक 06.06.2017 दर्ज करवा लिया।जिस रजिस्ट्री को कराने का प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार नही था क्योंकि उक्त आराजी में वादीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित है। विवादित आराजी पर वादीगण अपने हिस्से पर काबिज हैं व अपनी माता के सरपरस्ती में काश्त कर रहे हैं।प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज नही हैं। विवादित आराजी शामलात की आराजी है तथा शामलात में विवाद होने का अंदेशा है इसलिये वादीगण का हिस्सा डिक्लेयर किये जाने के पश्चात विवादित आराजी को तकसीम किये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को उक्त वाद प्रारंभिक डिक्री कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क किया कि आराजी खसरा नंबर 1782 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1958 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 1959 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1963 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 1972 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 2006 रकबा 0.21 है0 व खसरा नंबर 2937 रकबा 0.31 है0 कुल किता 7 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसमें 1/4 भाग नारायण रेस्पो0 का था जो रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। नारायण रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबरान में से आराजी खसरा नंबर 1963, 1958, 2937 कुल किता 3 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम तूलेडा में से 1/4 भाग सही व जायज तरीके पर मिन अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.02.2016 को विक्रय कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 2147 दिनांक 06.06.2017 को अपीलांट के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है। जिस पर अपीलांट काबिज है एवं मौके पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री में गलत तौर पर अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 1782 रकबा 0.01 है0, 1958 रकबा 0.37 है0, 1959 रकबा 0.03 है0, 1963 रकबा 0.35 है0, 2937 रकबा 0.31 है0, 1972 रकबा 0.15 है0, 2006 रकबा 0.21 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर की उभयपक्ष की मौजूदगी में अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी रास्ता को दृष्टिगत रखते हुये कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो कि जो आदेश पत्रावली व मौके व रिकार्ड के एकदम विपरीत है। वादी/रेस्पो0 आराजी खसरा नंबर 1963, 1958, 2937 वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर को छोड कर शेष आराजी खसरा नंबर 1782, 1959, 1972, 2006 में 1/4 हिस्सा लक्ष्मी, मोहन, नारायण व अशोक का है। जिसमें नारायण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

के 1/4 भाग में से 2/3 हिस्सा ही प्राप्त करने के अधिकारी है ना कि समस्त आराजी में से। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा जो दावा किया था उसके अन्दर लक्ष्मी देवी, मोहनलाल, अशोक पक्षकार ही नही थे जबकि तकसीम के दावे में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री करते समय इस तथ्य पर गौर नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में अपीलांट को तलब नही किया गया उसे बिना तलब किये ही निर्णय पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पो0 पुनः अनुपस्थित। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 का बहस का अवसर समाप्त किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 11.06.2018 का अवलोकन किया गया । अपीलांट की अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया । विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया ।

तहत अदालत द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया गया है। सभी दस्तावेजों का अवलोकन नही किया जाकर मात्र मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। साथ ही तहत न्यायालय द्वारा किस–किस खातेदार को किस–किस रकबे का खातेदार घोषित किया है, की घोषणा नही कर कानूनी बिन्दू की पालना नही की गई है।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 11.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत तलबी करते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
29.11.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर